



देश के राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बाबत नीति आयोग के चौथी स्तर में जहां दक्षिण भारतीय राज्यों ने बेहतर स्थिति को बनाये रखा है, वहीं उत्तर भारत के राज्य पिछड़ाने नजर आते हैं। कुल 24 मानकों के आधार पर तैयार सूचकांकों में बताए गए राज्यों के तहत एक नंबर पर रहा, वहीं तैमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे-तीसरे स्थान पर रहे। उत्तर भारत के बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे 19वें स्थान पर रहा है। लेकिन उड़ेखनीय बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने मानकों में सुधार की दृष्टि से नंबर एक स्थान पाया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार, यू.पी. से ऊपर हैं। दरअसल, ये आंकड़े वर्ष 2019-20 के हैं, जिसे पूरी तरह कोविड काल नहीं हाजा जा सकता। राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं का असरी माल्यांकित इयाकात वर पर निर्भय किया जाता है। लेकिन उड़ेखनीय बात यह है कि कोरोना काल में ये राज्य अपने नामांकितों की जान बचाने में कितने कामयाब हुए। हालांकि, दक्षिण राज्यों में रोगियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत बेहतर सेवाएं प्रदान की गई। निस्सदैन, केरल स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर स्थिति में है, लेकिन बीस करोड़ आवादी वाले उत्तर प्रदेश के चतुरों पिछड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीडीपी और मानव विकास सूचकांक निचले स्तर पर हैं। लेकिन अधिकारी इस मालिने में अपवाह है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से बेहतर प्रशासन व जन भागीदारी से स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। यदि उत्तर भारत के पिछड़े राज्य स्थिति में बदलाव को कटिबद्ध होते तो उन्हें ऑडिशा मॉडल का अध्ययन करना चाहिए। कमोबेश देश के राजधानी दिल्ली में भी स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता उत्तर प्रदेश जैसी पिछड़ी होनी चांता की जाता है। हालांकि, ये दोनों ही प्रदर्शन सुधार की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्रों में शुभार हैं। बहरहाल, कुल मिलान के देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सरोप्रपद नहीं जा सकती है। उत्तर असल, नीति आयोग का हालिया सर्वे स्वास्थ्य सेवाओं के बांधे को गंभीरांश से लेने को कहता है। यह सबाल पूछा जाना चाहिए कि उत्तर भारत के राज्यों में शिशु मृत्यु दर व प्रसूति माताओं की मौत का आंकड़ा आज भी ज्यादा क्यों है? यह भी कि अस्पतालों में उपचार की विशेषज्ञता का अभाव क्यों है। चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। जाहिरा तौर पर इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है।

# टकराव खत्म करने का शान्तिपूर्ण तरीका

## गरबचन जगत

फिलहाल किसान आंदोलन स्थिति है। तीन कृषि सुधार कानूनों को यूनियनों और किसानों के विरोधी की आपाकां भावकर अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। इनको बनाते वक्त न तो कृषकों की राय ली, न संसद में चर्चा हुई और न ही किसी संसदीय समिति से सलाह ली गई। इस एकत्रफा कर्वाई ने अधूरूपूर्व आंदोलन को जम दिया। जो एक साल से ज्यादा चला। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि से आए लाखों कृषकों ने दिल्ली सीमा पर चले थर्नों में भाग लिया। सरकार द्वारा किसानों को ज्यातार मांगों को मानने से आंदोलन को उड़ेखनीय सफलता मिली। यदि पहले ही सलाह-मशविरा या संसद में बहस होती तो ये नौबत न आती।

अतः एकत्रफा कार्यकारी शक्ति प्रयोग और संसद को पूरी तरह दरकिनार करने से यह टकराव पैदा हुआ। विडंबना है कि लोकतारिक ढंग से चुनकर आई सरकार ऐसा व्यवहार करे। संसद व संसदीय बदली से प्रजार्थन का मूल अवयव होती है। अफसोस, आज इस प्रक्रिया को नजरअंदाज़ किया जा रहा है। सरकार ने राशीय सुक्ष्मा के अहम विषय जैसे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की घुसपैठ, लॉकडाउन में मजबूर पलायन, कोविड इत्यादि पर भी अन्य से विमर्श करना गवारा नहीं किया। आजादी पूर्व महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक अंहसक जन आंदोलन चलाया थे। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग की अग्रवाल में 1950 में दशक में रंगभद्र ग्रस्त अमेरिका में नारिक अधिकार आंदोलन चलाया था। क्या एकत्रित उत्तर प्रदेश जैसी पिछड़ी होनी चांता की जाता है। हालांकि, ये दोनों ही प्रदर्शन सुधार की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्रों में शुभार हैं। बहरहाल, कुल मिलान के देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सरोप्रपद नहीं जा सकती है। उत्तर असल, नीति आयोग का हालिया सर्वे स्वास्थ्य सेवाओं के बांधे को गंभीरांश से लेने को कहता है। यह सबाल पूछा जाना चाहिए कि उत्तर भारत के राज्यों में शिशु मृत्यु दर व प्रसूति माताओं की मौत का आंकड़ा आज भी ज्यादा क्यों है? यह भी कि अस्पतालों में उपचार की विशेषज्ञता का अभाव क्यों है। चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। जाहिरा तौर पर इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है।



इसमें दोनों पक्षों की सैकड़ों जानें गई। कारोबार हेतु कॉर्पोरेट जगत को किसी भी तरह 'शांति' चाहिए। साथ ही अर्थिकी हेतु प्राकृतिक स्त्रोतों की खोज व इस्तेमाल की आत्मतर रहती है। दरअसल, सम्पदों संसाधनों के असमान वितरण में है, यानी इसके नैसर्गिक मालिक स्थानीय लोगों और बाहरी मुनाफाकारों के बीच। हालिया विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार देश का 65 फीसदी घरेल सरकारी 10 प्रतिशत हाथों में सिस्मिटा है। यही समस्या की जड़ हैँकर्वाई पैदा की दानों की बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद विशेष शक्ति के अनुपस्थिति में सरकार के विशेष शक्ति और उनको कंपनियों की खोजों की दौड़ी वर्षों में ज्यादा दिया जाता है। फिर विवारेथ स्थलरूप पैदा संघर्ष को धधकने दिया जाता है क्योंकि इससे सत्तासीनों का स्वाधीन संधारित है। यहां तक कि लोगों के पास अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करना ही एकमात्र रासायनिक बदलाव बनता चला। यही विशेष शक्ति को अनुपस्थिति में सरकार के विशेष शक्ति और कानून बनाकर व केंद्रीय संस्कृत बल व अनाड़ी राज्य पुलिस बल तैनाती के उपयोग करती है। इससे अंतहान टकराव स्थानीय लोगों के दमन-चक्र में बदलता है। दमन से क्षुब्ध समाज के कुछ वर्ग हिंसक प्रतिक्रिया चुनते हैं। हालांकि ऐसा रासाया कोई समाज के अन्य लोगों में आई विभिन्न इसकी बड़ी कमत्र बुकाना ही है। लगाता है लोगों का पास अब शांतिपूर्ण आंदोलन करना और राशीय नेतृत्व से लोग चलाने का एकमात्र विकल्प बचा है। वही राह, जिससे हमें आजादी मिली। एक ऐसा जन-आंदोलन, जिससे सत्ताधीशों को चुनावी हार का डर सताए। यही व्यवहार्य राह बची है। इसी तरह देश का उत्तर-पूर्वी भाग दशकों से अस्थिर है।

इस मामले में, केंद्र द्वारा वहां का निजाम अधिकांश समय रिमोट कंट्रोल के जरिए चलानी व्यवस्था के परिणाम बेहतर नहीं रहे। दिल्ली में बैठे नौकरशाह वहां की स्थिति से निपटते रहे, वह भी ज्यादातर संयुक्त-सचिव स्तर बाले। आलम यह था, बहुत सालों तक मुख्यमंत्री उक्त संयुक्त-सचिवों नौकरशाहों से ही मिल पाता था, उनसे ऊपर किसी से नहीं। यह रवैया नेताओं व स्थानीय लोगों के लिए अपमानजनक था। अब अधिकारी इसके दशकों से लोग सासाच बल विशेष शक्ति का अधिनियम (अफस्या) नामांकन किया जाता है। इस व्यवस्था का हीना ही एक असफल सरकार का द्योतक है। न कि खास हालांगों का, जैसा कि हमें व्यक्तीन दिलाने को बताया जाता है। तिस पर प्रशासन भ्रष्ट और अप्रभावी है और राजनेताओं की मिलीभागत है। सीमा जगह-जगह खुली है। विद्वाही लड़कों की आवाजाही से छोटे हथियार, गोला-बारूद व नशीले पदार्थों की आपाद होती है।

बड़े पैमाने पर व्याप्र ग्राहितार से विशेष विकास फंड और विशेष विकासों का गठन स्थानीय लोगों की सम्पदाओं को दूर करने में निष्प्रभावी रहे हैं। विभिन्न फंड व विभागों में भर्तीयों का बड़ा भाग सरकारी कर्मियों और भ्रमित तत्वों के बीच बंट जाता है। तथ्य तो यह है कि नागार्लैंड-मणिपुर जैसी जगहों में, फंड का अधिकांश हिस्सा अंदरखाते भ्रमित तत्व तक पहुंचता रहा है। इसके अलावा टार्पेटों, व्यवसायों और दुकानों पर स्टैम्प्स अंदरखाते विकासों और दुकानों पर स्टैम्प्स अंदरखाते विकासों से टैक्स अलग से उगाहते हैं। बंद-हड़ताले थोकपक-थोकपक ये लोग सुबे और लोगों के बीच बंद बनाए हुए हैं। नागार्लैंड-मणिपुर में भ्रमित तत्व तक चार रहे हैं। यू. तो मध्यस्थ बातचीत दो शक्तियों से पैरादृश्य पर हैं, लेकिन दिखाई न देने वाले परिणाम के साथ। हमेशा कहा जाता है कि हल बस आगे मोड़ पर है, लेकिन मोड़ कभी नहीं आता। इसलिए स्वार्थी तत्वों को बीच में डाले बनारे सरकार और लोगों के बीच सीधी बातचीत जरूरी है। नागार्लैंड और मणिपुर में सिविल अधिकार आंदोलकर्मी इस तरह तक बनाने में भयजूत और समर्थ हैं। हो सकता है इनके न होने पर वे शांतिपूर्ण जन-आंदोलन की राह अपनाएं। सरकार और लोगों के बीच अविश्वास की गहरी खाली है, टकराव का लिंग निकालने को उसे पाटना होगा। इसकी पहल सरकार करे। एक व्यञ्ज-ईमानदार प्रशासन का विकल्प मुख्य की वस्तुएँ-रियायें नहीं बन सकती, जो जनता के लगाया जाना वाला नया समय है।

## वही पुरानी चाल और नया साल

### शमीम शर्मा

पता नहीं नये साल की शुभकामनाएँ लोग एडवांस में बैठे देने लगे होते हैं। विश्वास रखें, नये साल के दिन हम कहां भाग तो नहीं जायेंगे। पिछले साल-आठ दिनों में निष्प्रभावी रहे हैं। विभ